05-04-2023

विश्वविख्यात बसोहली पेंटिंग को मिला जीआई टैग

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, बसोहली चित्रकला को भौगोलिक संकेतक(जीआई टैग) प्रदान किया गया।

त्वरित मुद्दा?

- बसोहली चित्रकला का विकास, जम्मू क्षेत्र के बसोहली क्षेत्र में हुआ। यहाँ लघु चित्रकारियों की एक अनूठी शैली को जन्म मिला, जिसमें पौराणिक कथाओं और पारंपरिक लोक कलाओं का मिश्रण पाया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- बसोहली चित्रकला का जन्म हिन्दू, मुग़ल तथा पहाड़ी शैलियों के समन्वय से हुआ है, जिसमें मुग़ल शैली की भाँति झीने परदों तथा पुरुषों के कपड़ों का प्रयोग किया गया है, जबकि चेहरे स्थानीय लोक कला पर आधारित हैं।
- बसोहली चित्रकला शैली हिन्दू धर्म एवं परम्परा से अधिक प्रभावित रही और विष्णु एवं उनके दशावतारों का अधिक चित्रण किया गया।
- बसोहली चित्रकला शैली के अंतर्गत रामायण, महाभारत तथा गीत गोविन्द पर आधारित चित्रों की भी रचना की गयी है।
- संग्राम पाल (1635-1673 ई.) और कृपाल पाल (1678-1693 ई.) के शासनकाल में बसोहली चित्रकला का असली विकास हुआ।
- संग्राम पाल के शासनकाल में वैष्णववाद अपनाया गया था, जिसके कारण बसोहली की प्रारंभिक चित्रकारियाँ, जिनमें विशेष रूप से रसमंजरी श्रृंखला शामिल है, जो कृष्ण को नायक के रूप में दर्शाती हैं।
- किनारों और एक औसतन सपाट पृष्ठभूमि में लाल, पीले और नीले जैसे चमकीले और गहरे रंगों का प्रयोग, इन चित्रकला की अनोखी विशेषताएँ थी।
- चेहरे की विशेषताओं, जैसे उभरी नाक और कमल के आकार की आँखों का चित्रण, इनका एक अन्य विशिष्ट भाग था।
- पुरुषों और महिलाओं, दोनों की पोशाकें मुगल या राजपूत दरबार में पहने जाने वाले कपड़ों से मेल खाती हैं।
- इनके वास्तुकला-संबधी तत्व, मुगल और राजपुताना वास्तुकला की याद दिलाते हैं, जो अपनी जटिल जड़ाइयों, आलों और भव्य रूप से सुसज्जित अंदरूनी हिस्सों के लिए प्रसिद्ध थे।

अन्य प्रमुख तथ्य?

जीआई टैग के लाभ

- यह भारत में भौगोलिक संकेतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेतों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- यह भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित/निर्मित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

- आभूषणों का चित्रण इस चित्रकला की सबसे अनोखी विशेषता थी, जिनमें मोतियों को दर्शाने के लिए उभरते सफ़ेद रंगों का और पन्ना रंग दिखाने के लिए झींगुर के पंख के आवरणों का प्रयोग किया जाता था।
- कृपाल सिंह के आश्रय में, बसोहली चित्रकला के उत्तरवर्ती चरण का विकास हुआ।
- इस चरण में प्रकृतिवाद की प्रमुखता के साथ-साथ, रचनाएँ अधिक परिष्कृत भी हो गई थीं।
- उत्तरवर्ती काल में मनकू द्वारा रचित 'गीत गोविंद श्रृंखला' का बहुत महत्व है।
- बसोहली शैली 18वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही और अन्य शहरों में भी इसका विस्तार हुआ।

- जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि संबंधी, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है, जिनमें अनूठे गुण, ख्याति या इसके भौगोलिक उद्भव के कारण जुड़ी अन्य लक्षणगत विशेषताएं होती है।
- जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार(आईपीआर) होता है, जो आईपीआर के अन्य रूपों से भिन्न होता है, क्योंकि यह एक विशेष रूप से निर्धारित स्थान में समुदाय की विशिष्टता को दर्शाता है।
- वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO) के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है।
- जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा दिया जाता है।
- भारत में, जीआई टैग के पंजीकरण को 'वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है तथा 10 वर्ष बाद पंजीकरण का फिर से नवीनीकरण कराया जा सकता है।

फिनलैंड NATO में हुआ शामिल

समाचार पत्रों में क्यों?

फिनलैंड आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 'नाटो' का 31वां सदस्य बन गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यह एक बड़ी खबर है। नॉर्डिक राष्ट्र आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है।

त्वरित मुद्दा?

- फिनलैंड की सदस्यता के बाद अब नाटो के सदस्य देशों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है। फिनलैंड और रूस 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ऐसे में अब नाटो सेना के रूस की उत्तरी सीमा के नजदीक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि, नाटो महासचिव जनरल जेन स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड की सहमति के बिना नाटो अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।
- फिनलैंड की सीमा रूस से लगती है, जिसके कारण रूस द्वारा फिनलैंड के NATO में शामिल होने का विरोध किया जा रहा है।
- रूस, यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ सीमा साझा करता है।
- इसमें से फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और नॉर्वे नाटो के सदस्य बन चुके हैं।
- फिनलैंड, उत्तरी यूरोप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है।यह स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है।
- फ़िनलैंड 1995 से यूरोपीय संघ और 1999 से यूरोज़ोन का सदस्य है।फ़िनिश और स्वीडिश फ़िनलैंड की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड को नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है

- वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है।
- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य गठबंधन (Western Defensive Military Alliance) है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।

- शीत युद्ध के प्रारंभ के साथ एक सैन्य व राजनीतिक संगठन के रूप में नाटो का गठन 4 अप्रैल, 1949 को 12 सदस्यों के साथ हुआ था।
- वर्तमान में इस संगठन में दो उत्तरी अमेरिकी देशों(अमेरिका, कनाडा) के अतिरिक्त 29 यूरोपीय देश शामिल हैं।
- वर्ष 2020 में उत्तरी मेसीडोनिया इस संगठन में 30वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।
- नाटो संधि के अनुच्छेद 4 के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में सदस्य राष्ट्र एक-दूसरे से परामर्श कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 5 के अनुसार संधि के सदस्य देशों में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमले को समस्त नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
- इस प्रकार, यह अनुच्छेद सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत (Collective Defense Principle) अर्थात् वन-फॉर-ऑल, ऑल-फॉर-वन' को बताता है।
- नाटो में किसी नए सदस्य को शामिल करने का निर्णय सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है।

चुनावी बॉण्ड की बिक्री

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गयी कि 3 से 12 अप्रैल तक चुनावी बॉण्ड की बिक्री होगी।

त्वरित मुद्दा?

- राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की कोशिशों के तहत पार्टियों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड को पेश किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को तीन से 12 अप्रैल तक 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड की 25वीं खेप 19 से 28 जनवरी 2023 के बीच बिक्री के लिए खुली थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- चुनावी बॉण्ड पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है।इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता को बढ़ाना है।
- चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा 2017-18 के बजट में की गयी थी। इसके लिए रिज़र्व बैंक एक्ट,1934 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आवश्यक संसोधन किये गए थे।
- चुनावी बॉण्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के गुणकों में उपलब्ध होते हैं।

- कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या कंपनी चुनावी बॉण्ड खरीद सकती है।
- एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों की खरीद कर सकता है।
- चुनावी बॉण्ड खरीदने वालों के नाम को गोपनीय रखा जाता है।बॉण्ड खरीदने वाले को अपनी सारी जानकारी (KYC) बैंक को देनी होती है।
- बॉण्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होता है।
- केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड प्राप्त कर सकते है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हो तथा जिन्हें लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हो।
- चुनावी बॉण्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है।
- राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी बताना होगा, कि उन्हें कितना धन चुनावी बॉण्ड के माध्यम से मिला है।
- चुनावी बॉण्ड पर बैं क द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों तक के लिए वैध होते है।
- वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जा एगा।
- चुनावी बॉण्ड केवल उन्ही व्यक्तियों द्वारा ख़रीदे जा सकते है जिन्होंने बैंक के KYC अनुपालन को पूरा किया हो, इससे चुनाव वित्तपोषण प्रणाली में काले धन के प्रवाह पर रोक लगती है।
- चुनावी बॉण्ड खरीदने वाले को इसको अपनी बैलेंस सीट में भी दिखाना होगा, जिससे पारदर्शिता और जवावदेही को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य प्रमुख तथ्य?

चुनावी बॉण्ड से संबंधित चुनौतियाँ

- बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से बेचे जाते है, इसीलिए सत्ताधारी दल विपक्षी दलों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की जानकारी हासिल कर सकता है और उनके विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर सकता है।
- राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट प्राप्त है, जिससे चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- यह प्रावधान नागरिकों के जानने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है।

- चुनावी बॉण्ड खरीदने वाले के नाम का खुलासा नहीं किया जाता है, जिससे कोई भी दल किसी अन्य दल को चंदा देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध पूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकेगा।